30-7-24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे फर्द बटवारा अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया गया पत्रावली मे अन्तिम निर्णय व डिक्री पृथक से लिखी जाकर शामील पत्रावली कि गई पत्रावली मे अब कोई ओर कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 106/2019

देवा पिता कुका जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. किशन पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
2. जेतु पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
3. मुकेश पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
4. चंदा पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
5. भवरीया पिता प्यारा भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
6. भगवानला पिता छगना भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
7. छेवली पिता छगना भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
8. श्रीमति राजुबाई पत्नी हेमराज मीणा निवासी मेनाल तह0 बेगूँ
9. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सिद्धान्त बिल्लू
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक ::– 30.07.2024

निर्णय वादपत्र अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की दावा पत्रावली को निस्तारण हेतु प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प शादी पर रखाया गया । वादी द्वारा अपने वादपत्र में निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा बस्सी फतेहपुर प.ह.शादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टरमें
497	0.4760
498	0.4130
499	0.3730
500	0.4050
कीता–4	1.6670 हैक्टर

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पारीवारिक सजरा निम्न प्रकार से है:–

कुका फात
।
देवा — उदा फौत
।
किशन जेतु मुकेश चंदा

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादीगण अपने अपने निहित हक हिस्सा अनुसार मौके पर आपसी तौर पर मौखिक बटवाडा कर निरंतर काविज हो काश्त करते चले आ रहे है, और लगान भी अदा करते आ रहे है। वर्णित आराजी का मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादीव प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन फसल बोने व धास चारा काटते समय आए दिन विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान क लिए वादी ने आपसी सहमति से तहसील में चलकर खाता विभाजन कराने के लिए प्रतिवादीगण को दिनांक 15.06.2019 को कहा तो प्रइतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिया जाने से वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन के लिए इन्कार किये जाने से वादी को यह वादपत्र लाने की आवश्यकता हुई है। वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश है। भूमिधारी तहसीलदार साहब विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाए गए है।

अतःन्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिकी प्रदान कराई जावें।

क– कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी का 1/24 हक हिस्सा भूमि का मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किए जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

ख– कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

ग– कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

उपरोक्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण 1 से 8तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा पारित किये गये, प्रकरण में भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाब नहीं लिया गया। न्यायालय में दावा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी दावा पत्रावली को वास्ते निस्तारण प्रशासन गॉवो के संग अभियान कैम्प शादी पर रखाया गया, पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित आए तथा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा एक लिखित राजीनामा भी प्रस्तुत किया जाकर हिस्सा अनुसार वाद वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन किए जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया गया।

प्रशासन गॉवो के संग अभियान कैम्प शादी में उपस्थित वादी एवं प्रतिवादीगण को सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन भी किया गया जिसमें पाया कि मौजा बस्सी फतेहपुर प0ह0 शादी की आराजी संख्या 497,498,499,500 किता–4 कुल रकबा 1.6670 हैक्टर भूमि में श्री देवा उदा पिता कुका का हिस्सा 1/12, भवरिया पिता प्यारा का हिस्सा 1/9, भगवाना देबलीबाई पिता छगना का हिस्सा 1/12 एवं राजुबाई पत्नि हेमराज मीणा का हिस्सा 29/36 दर्ज होना पाया गया, वर्णित हिस्सा अनुसार कृषि आराजीयात का विभाजन कराये जाने का अधिकार वादी को प्राप्त होने से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा मौजा बस्सी फतेहपुर प0ह0 शादी की आराजी संख्या 497,498,499,500 किता–4 कुल रकबा 1.6670 हैक्टर भूमि वादी देवा पिता कुका भील का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 कमशः किशन पिता बंशी भील, जेतु पिता बंशी भील, मुकेश पिता बंशी भील एवं चंदा पिता बंशी भील का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी सं0 5 भवरीया पिता प्यारा का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी सं0 6 व 7 कमशः भगवाना व देवीली पिता छगना का हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 8 श्रीमति राजुबाई पत्नी हेमराज मीणा का हिस्सा 29/36 जमाबंदी अनुसार रखते हुए आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार व मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर किये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिकी जारी होकर प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाते हुए वर्णित आराजी के विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रतियों में तहसीलदार, बेगूँ से तलब कि गई । **उपरोक्त प्राथमिक निर्णय व डिकी की पालना मे तहसीलदार बेगूँ को वर्णित आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु लिखा गया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक/भू.अ./प्रा.डी./2024/2826 दिनांक 29.07.2024 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिसमे वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट सही होने एवं दावा अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वादपत्र अन्तिम डिकी की घोषणा किया जाने योग्य है।**

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बस्सी फतेहपुर प0ह0 शादी की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी 1– श्री देवा पिता भील सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.0695	बा.च.	0.26
किता– 1	00695		0.26

प्रतिवादी 2– श्री किशन, मुकेश, जेतु, चंदा पिता बंशी भील हि.ब. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.0695		0.26
किता– 1	0.0695		0.26

प्रतिवादी 3— श्री भंवरियापिता प्यारा भील हि.व. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेरो	0.1852		0.69
किता— 1	0.1852		0.69

प्रतिवादी 4— श्री भगवानलाल, देवली पिता छगना भील हि.व. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेरो	0.1389		0.52
किता— 1	0.1389		0.52

प्रतिवादी 1— राजुबाई पत्नी हेमराज मीणा सा. मेनाल हि.व. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेरो	0.0129	बा.च.	0.04
498	0.4130	बा.च.	1.54
499	0.3730	बा.च.	1.39
500	0.4050	बा.च.	1.51
किता— 04	1.2039		4.48

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे । अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेंगू

मूल वाद मे अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 106 / 2019

देवा पिता कुका जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूं
वादी

बनाम

1. किशन पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूं
2. जेतु पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूं
3. मुकेश पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूं
4. चंदा पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूं
5. भवरीया पिता प्यारा भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूं
6. भगवानला पिता छगना भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूं
7. छेवली पिता छगना भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूं
8. श्रीमति राजुबाई पत्नी हेमराज मीणा निवासी मेनाल तह0 बेगूं
9. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूं जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धान्त विल्लू द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ....की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.07.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस सहायक कलक्टर, बेगूं के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से कि जाती है :

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फ़र्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बस्सी फतेहपुर प0ह0 शादी की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी 1– श्री देवा पिता भील सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.0695	वा.च.	0.26
किता– 1	0,0695		0.26

प्रतिवादी 2– श्री किशन, मुकेश, जेतु, चंदा पिता वंशी भील हि.ब. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.0695		0.26
किता– 1	0.0695		0.26

प्रतिवादी 3– श्री भंवरियापिता प्यारा भील हि.ब. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.1852		0.69
किता– 1	0.1852		0.69

M

प्रतिवादी 4— श्री भगवानलाल, देवली पिता छगना भील हि.ब. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.1389		0.52
किता— 1	0.1389		0.52

प्रतिवादी 5— राजुबाईपत्नी हेमराज मीणा सा. मेनाल हि.ब. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.0129	बा.च.	0.04
498	0.4130	बा.च.	1.54
499	0.3730	बा.च.	1.39
500	0.4050	बा.च.	1.51
किता— 04	1.2039		4.48

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे । अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेंगू

क्रमांक / सरिश्ता / 2021 / दिनांक :—

प्रतिलिपि तहसीलदार बेंगॅू को अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेंगॅू

मूल वाद मे अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::— 106/2019

देवा पिता कुका जाति भील निवारी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. किशन पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
2. जेतु पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
3. मुकेश पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
4. चंदा पिता बंशीजी भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
5. भवरीया पिता प्यारा भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
6. भगवानला पिता छगना भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
7. छेवली पिता छगना भील निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूँ
8. श्रीमति राजुबाई पत्नी हेमराज मीणा निवासी मेनाल तह0 बेगूँ
9. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्वान्त बिल्लू द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ....की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.07.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस सहायक कलक्टर, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से कि जाती है :

अतः वादीगण वादपत्र 53. राज0कश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा बस्सी फतेहपुर प0ह0 शादी की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वादी 1— श्री देवा पिता भील सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.0695	बा.च.	0.26
किता— 1	0.0695		0.26

प्रतिवादी 2— श्री किशन, मुकेश, जेतु, चंदा पिता बंशी भील हि.ब. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.0695		0.26
किता— 1	0.0695		0.26

प्रतिवादी 3— श्री भंवरियापिता प्यारा भील हि.ब. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकवा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.1852		0.69
किता— 1	0.1852		0.69

M/

प्रतिवादी 4– श्री भगवानलाल, देवली पिता छगना भील हि.ब. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.1389		0.52
किता– 1	0.1389		0.52

प्रतिवादी 5– राजुबाईपत्नी हेमराज मीणा सा. मेनाल हि.ब. सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	लगान
497 मेसे	0.0129	बा.च.	0.04
498	0.4130	बा.च.	1.54
499	0.3730	बा.च.	1.39
500	0.4050	बा.च.	1.51
किता– 04	1.2039		4.48

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी का खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावे । अंतिम निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेंगू

क्रमांक / सरिश्ता / 2021 / दिनांक :–
प्रतिलिपि तहसीलदार बेंगूं को अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेंगूं